भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 87A/2018-19

सीदियु बानरा **बनाम** कुमारी नीतु बानरा

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
19.11.18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 701 दिनांक 04.08.18 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 87A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सीदियु बानरा पिता स्व० सुरेश बानरा, ग्राम–धोलाडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता कुमारी नीतु बानरा, पिता दिनेश बानरा, ग्राम–धोलाडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
धोलाडीह	374	60	601	0.07½एकड़
			602	0.70एकड़
				0.77½एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पितामहा के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पितामहा के मृत्यु उपरांत अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 0.77½ एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.51 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना एवं जाति 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.77½ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

19.11.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।